भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-65
सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक)

कोविड-19 के दौरान नौकरियों की हानि

65. श्री लल्लू सिंहः
श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:
श्री रमेश बिधूडीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह तथ्य है कि विगत छह महीनों में देश में रोजगार अवसरों में कमी और बेरोजगारी प्रतिशत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार का कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(घ) कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने नैमित्तिक/ठेका कर्मियों की नौकरी से छंटनी की गई है और उनकी नौकरी खोने की क्षतिपूर्ति के लिए क्या कल्याणकारी उपाए किए गए हैं तथा कितने लोगों को पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया गया है;

(ङ) कोविड-19 के कारण विशेषकर एनसीआर क्षेत्र में कुल कितने कर्मियों/श्रमिकों ने अपनी नौकरियाँ खो दी गई है; और

(च) क्या सरकार ने उक्त कर्मियों/श्रमिकों की आर्थिक सहायता के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): कोरोना-19 महामारी और उससे लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार सृजित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। 12 जुलाई, 2021 को 84,390 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 22 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुए लगभग कुल *993* करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

पीएम स्व-निधि योजना को रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

*****